WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JUNE 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- कोरोना महामारी के प्रकोप से बेजार एमएसएमई सेक्टर को राहत की मांग
- 43rd Meeting of the GST Council
- अभी जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों को भी मिला एक मौका
- 26 जून तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
- जीएसटी रिटर्न पर छोटे कारोबारियों को बड़ी छूट
- Extension of time limits of certain compliances to provide relief to taxpayers in view of the severe pandemic
- रिटर्न की तारीख बढ़ी लेकिन कर जमा करने में राहत नहीं
- आयक विभाग - करदाताओं के लिए नया पोर्टल पेश
- एनजीओ का नवीनीकरण नहीं तो 30 फीसदी टैक्स
- आयात शुल्क में छूट के लिए पहले देनी होगी जानकारी
- टोल पर जाम लगा तो आगे वाली गाड़ियों को टैक्स नहीं
- राहत पैकेज के रूप में मिल सकता है टैक्स छूट का तोहफा
- राहत पैकेज की जरुरत का हो रहा आकलन
- 2000 रूपये के नोटों की अब नहीं होगी सप्लाई : आरबीआई
- नॉमिनी नहीं बनाया तो गहरा हो सकता है परिवार का संकट
- सरकारी बैंको ने मिलाया हाथ, निर्धारित शुल्क लेकर घर पर दी जाएंगी सेवाएं
- कारोबारियों को कर्ज में कोताही नहीं करे निजी बैंक: आरबीआई
- RBI decides to extend special liquidity facility of Rs 16,000 cr to support MSMEs funding requirements
- बिना गारंटी लोन का दायरा बढ़ा
- बैंक खुले या ना खुले, सैलरी अब निर्धारित दिन ही मिल जाएगी
- एमएसएमई क्षेत्र को 3640 करोड़ मदद देगा विश्व बैंक
- जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी बढाकर 40% करेंगे: गडकरी
- पीएफ खाते से कोरोना एडवांस ले सकेंगे
- पीपीएफ खाते से संकट में ले सकते है एक फीसदी ब्याज पर लोन
- ईएसआइसी के तहत नई व्यवस्था पर श्रम मंत्रालय ने बढ़ाए कदम
- होम आइसोलेशन का पूरा खर्च उठाएगा ईएसआइसी
- Mandatory seeding of Aadhaar Number for filing of ECR- Reg.
- Wider Coverage: Commerce Ministry weighing proposal to revamp scheme for services exports
- Govt releases Rs 5,968 crore to 15 states under Jal Jeevan Mission
- Total cost of India's vaccination drive could go up to Rs 3.7 lakh crore: SBI Research

कोरोना महामारी के प्रकोप से बेजार एमएसएमई सेक्टर को राहत की मांग

वैस्टर्न यू पी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान स्थिति से उद्योग-व्यापार को उबारने हेतु आ रही समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए-

गत वर्ष के कोरोना महामारी के संक्रमण से उद्योग व व्यापार जगत अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि इस वर्ष आई दूसरी लहर ने उद्योग-व्यापार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। लगातार लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण से हजारो एमएसएमई और लाखो कामगारो पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। मान्यवर, बिक्री में गिरावट से ज्यादातर कंपनियों के पास अपने उद्योग चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे है। इस कारण एमएसएमई को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तरलता की कमी (liquidity crunch) के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है एवं इकाइयों के पास उत्पादन करने का कोई विकल्प नहीं बचा है जिस कारण इकाइयां बंद होने की कगार पर है क्योकि आंशिक लॉकडाउन/कर्फ्यू के कारण- उत्पाद की मांग में कमी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि व उपलब्धता में विलम्ब, पूरी क्षमता से उद्योगों का न चलना आदि ऐसे कारण रहे जिससे इकाइयां निर्यात के आर्डर भी पुरे नहीं कर पायी। इस कारण एमएसएमई को सरकार से मदद की आवश्यकता है। बैंको से सम्बंधित निम्न सुझावों पर विचार कर लागू किया जाए तो उद्योगों को काफी मदद मिलेगी।

1- एमएसएमई को ईएमआई में राहत- महामारी के दबाव से उबरने के लिए समस्त एमएसएमई टर्म लोन पर ईएमआई को अगले वर्ष मार्च तक राहत दी जाए एवं मुद्रा योजना की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना आवश्यक है।

2- महामारी का प्रकोप झेल रहे एमएसएमई को कर्ज पुनर्गठन में एनपीए मानकों को लचीला बनाया जाए, अन्य नियमो में छूट प्रदान की जाए व ब्याज पर सब्सिडी जैसी राहत देने पर विचार करना चाहिए।

3- तरलता की कमी के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तुरंत पूंजी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत तुरंत सब्सिडी जारी की जानी चाहिए जिससे वर्तमान स्थिति के समय में उद्योगों को बचाया जा सके।

4- विभिन्न ऋण के नवीनीकरण व लिमिट बढ़ाने में प्रोसेसिंग चार्ज व वार्षिक शुल्क 31 मार्च 2022 तक नहीं लगाया जाना चाहिए।

5- कार्यशील पूंजी के भुगतान की अवधि बढाकर 3 महीने से 6 महीने करने पर मंथन किया जाना आवश्यक है एवं वर्किंग कैपिटल पर लोन व अन्य लोन के ब्याज में 31 मार्च 2022 तक छूट प्रदान की जानी चाहिए।

6- बैंक के साथ किसी भी विलम्बित अनुपालन के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगायी जानी चाहिए।

7- बैंको को आदेश दिय जाने चाहिए कि खाता धारक के संज्ञान में लाये बिना स्वयं खाते से ईएमआई व अन्य शुल्क न काटे जाए।

8- एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए जाने वाले ब्याज की सब्सिडी को मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

9- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जिनके पास कोलेटरल लोन लिमिट पर कार्यशील पूंजी है उसकी लिमिट को बिना किसी अतिरिक्त कोलेटरल के 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए एवं सूक्ष्म व लघु उद्योगों की व्यवसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल ब्रिज लोन एवं डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, एमएसएमई का अस्तित्व बचाने हेतु उपरोक्त मांगो व सुझावों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान परिवेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान की जाए क्योंकि महामारी का सीधा प्रभाव इन इकाइयों के उत्पादन पर पड़ा है। कच्चा माल महंगा होने से एमएसएमई के उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है और मुनाफा कम हुआ है। अतः कच्चे माल की उपलब्धता सस्ते दामों पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त प्राविधान किये जाने आवश्यक है।

43rd Meeting of the GST Council
New Delhi, 28th May, 2021
(GST rates on Goods and Services)

The GST Council in its 43rd meeting held on 28th May, 2021 at New Delhi took the following decisions relating to changes in GST rates on supply of goods and services and changes related to GST law and procedure.

Covid relief items

1. As a COVID-19 relief measure, a number of specified COVID-19 related goodssuch as medical oxygen, oxygen concentrators and other oxygen storage and transportation equipment, certain diagnostic markers test kits and COVID-19 vaccines, etc., have been recommended for full exemption from IGST, even if imported on payment basis, for donating to the government or on recommendation of state authority to any relief agency. This exemption shall be valid upto 31.08.2021. Hitherto, IGST exemption was applicable only when these goods were imported "freeof cost" for free distribution. The same will also be extended till 31.8.20201. It may bementioned that these goods are already exempted from Basic Customs duty. Furtherin view of rising Black Fungus cases, the above exemption from IGST has been extended to Amphotericin B.

2. As regards individual items, it was decided to constitute a Group of Ministers(GoM) to go into the need for further relief to COVID-19 related individual items immediately. The GOM shall give its report by 08.06.2021.

Other goods

3. To support the *Lympahtic Filarisis* (an endemic) elimination programme being conducted in collaboration with WHO, the GST rate on Diethylcarbamazine (DEC) tablets has been recommended for reduction to 5% (from 12%).

4. Certain clarifications/clarificatory amendments have been recommended in relation to GST rates. Major ones are, -

a. Leviability of IGST on repair value of goods re-imported after repairs
GST rate of 12% to apply on parts of sprinklers/ drip irrigation systemsfalling under tariff heading 8424 (nozzle/laterals) to apply even if these goods are sold separately.

5. Services

i. To clarify those services supplied to an educational institution including anganwadi (which provide pre-school education also), by way of serving of food including mid-day meals under any midday meals scheme, sponsored byGovernment is exempt from levy of GST irrespective of funding of such supplies from government grants or corporate donations.

ii To clarify these services provided by way of examination including entrance examination, where fee is charged for such examinations, by National Board of Examination (NBE), or similar Central or State Educational Boards, and input services relating thereto are exempt from GST.

iii To make appropriate changes in the relevant notification for an explicit provision to make it clear that land owner promoters could utilize credit of GST charged to them by developer promoters in respect of such apartments that are subsequently sold by the land promotor and on which GST is paid. The developer promotor shall be allowed to pay GST relating to such apartments any time before or at the time of issuance of completion certificate.

iv To extend the same dispensation as provided to MRO units of aviation sector toMRO units of ships/vessels so as to provide level playing field to domestic shipping MROs vis a vis foreign MROs and accordingly, -

(a) GST on MRO services in respect of ships/vessels shall be reduced to 5% (from18%).

(b) PoS of B2B supply of MRO Services in respect of ships/ vessels would be location of recipient of service

v. To clarify that supply of service by way of milling of wheat/paddy into flour (fortified with minerals etc. by millers or otherwise)/rice to *Government/ local authority etc.* for distribution of such flour or rice under PDS is exempt from GSTif the value of goods in such composite supply does not exceed 25%. Otherwise, such services would attract GST at the rate of 5% if supplied to any person registered in GST, including a person registered for payment of TDS.

vi. To clarify that GST is payable on annuity payments received as deferred payment for construction of road. Benefit of the exemption is for such annuities which are

paid for the service by way of access to a road or a bridge.

vii To clarify those services supplied to a Government Entity by way of construction of a rope-way attract GST at the rate of 18%.

viii To clarify that services supplied by Govt. to its undertaking/PSU by way of guaranteeing loans taken by such entity from banks and financial institutions isexempt from GST.

6. Measures for Trade facilitation:

1. <u>Amnesty Scheme to provide relief to taxpayers regarding late fee for pending returns:</u>

To provide relief to the taxpayers, late fee for non-furnishing **FORM GSTR- 3B** for the tax periods from **July, 2017 to April, 2021** has been reduced / waivedas under: -

i. late fee capped to a maximum of **Rs 500/- (Rs. 250/- each for CGST & SGST) per return** for taxpayers, who did not have any tax liability forthe said tax periods;

ii. late fee capped to a maximum of **Rs 1000/- (Rs. 500/- each for CGST &SGST) per return** for other taxpayers;

The reduced rate of late fee would apply if GSTR-3B returns for these tax periods are furnished between *01.06.2021 to 31.08.2021.*

2. <u>Rationalization of late fee imposed under section 47 of the CGST Act:</u>

To reduce burden of late fee on smaller taxpayers, the upper cap of late fee isbeing rationalized to align late fee with tax liability/ turnover of the taxpayers,as follows:

A. The late fee for delay in furnishing of **FORM GSTR-3B** and **FORM GSTR-1** to be capped, **per return**, as below:

(i) **For taxpayers having nil tax liability** in **GSTR-3B** or nil outward supplies in **GSTR-1**, the late fee to be capped at Rs 500 (Rs 250 CGST +Rs 250 SGST)

(ii) **For other taxpayers**:

a. For taxpayers having Annual Aggregate Turnover (AATO) in preceding year upto Rs 1.5 crore, late fee to be capped to a maximum of Rs 2000 (1000 CGST+1000 SGST);

b. For taxpayers having AATO in preceding year between Rs 1.5 crore to Rs 5 crore, late fee to be capped to a maximum of Rs 5000 (2500 CGST+2500 SGST);

c. For taxpayers having AATO in preceding year above Rs 5 crores, late fee to be capped to a maximum of Rs 10000 (5000 CGST+5000SGST).

B. The late fee for delay in furnishing of **FORM GSTR-4** by composition taxpayers to be capped to Rs 500 (Rs 250 CGST + Rs 250 SGST) per return, if tax liability is nil in the return, and Rs 2000 (Rs 1000 CGST + Rs 1000 SGST)per return for others.

C. Late fee payable for delayed furnishing of **FORM GSTR-7** to be reduced toRs.50/- per day (Rs. 25 CGST + Rs 25 SGST) and to be capped to a maximumof Rs 2000/- (Rs. 1,000 CGST + Rs 1,000 SGST) per return.

*All the above proposals to be made applicable for **prospective** tax periods.*

3. <u>COVID-19 related relief measures for taxpayers:</u>

In addition to the relief measures already provided to the taxpayers vide the notifications issued on 01.05.2021, the following further relaxations are being provided to the taxpayers:

A. For small taxpayers (aggregate turnover upto Rs. 5 crore)

a. March & April 2021 tax periods:

i. NIL rate of interest for first 15 days from the due date of furnishingthe return in **FORM GSTR-3B** or filing of **PMT-06** Challan, reducedrate of 9% thereafter for further 45 days and 30 days for March,2021and April, 2021 respectively.

ii. Waiver of late fee for delay in furnishing return in **FORM GSTR- 3B** for the tax periods **March / QE March, 2021 and April 2021** for 60 days and 45 days respectively, from the due date of furnishing **FORM GSTR-3B.**

iii. NIL rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing the statement in **CMP-08** by **composition dealers** for **QE March 2021**, and reduced rate of 9% thereafter for further 45 days.

b. For May 2021 tax period:

i. NIL rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing the return in **FORM GSTR-3B** or filing of **PMT-06** Challan, and reduced rate of 9% thereafter for further 15 days.

ii. Waiver of late fee for delay in furnishing returns in **FORM GSTR-3B** for taxpayers filing monthly returns for 30 days from the due date of furnishing **FORM GSTR-3B.**

B. For large taxpayers (aggregate turnover more than Rs. 5 crore)

i. A lower rate of interest @ 9% for first 15 days after the due date of filing return in **FORM GSTR-3B** for the tax period **May, 2021**.

ii. Waiver of late fee for delay in furnishing returns in **FORM GSTR-3B** for the tax period **May, 2021** for 15 days from the due date of furnishing **FORM GSTR-3B**.

C. Certain other COVID-19 related relaxations to be provided, such as

1. Extension of due date of filing **GSTR-1/ IFF for the month of May 2021 by 15 days.**
2. **Extension of due date of filing GSTR-4 for FY 2020-21 to 31.07.2021.**
3. Extension of due date of filing **ITC-04 for QE March 2021 to 30.06.2021.**
4. **Cumulative application of rule 36(4)** for availing ITC for tax periods April, May and June, 2021 **in the return for the period June, 2021**.
5. Allowing filing of returns by companies using Electronic Verification Code (EVC), instead of Digital Signature Certificate (DSC) till **31.08.2021.**

D. Relaxations under section 168A of the CGST Act: Time limit for completion of various actions, by any authority or by any person, under the GST Act, which falls during the period from **15th April, 2021 to 29th June, 2021**, to be extended upto **30th June, 2021**, subject to some exceptions.

4. **Simplification of Annual Return for Financial Year 2020-21:**

i. Amendments in section 35 and 44 of CGST Act made through Finance Act, 2021 to be notified. **This would ease the compliance requirement** in furnishing reconciliation statement in **FORM GSTR-9C**, as taxpayers would be able to **self-certify** the reconciliation statement, instead of getting it certified by chartered accountants. This change will apply for Annual Return for FY 2020-21.

ii. The filing of annual return in **FORM GSTR-9 / 9A** for FY 2020-21 to be optional for taxpayers having aggregate annual turnover upto Rs 2 Crore;

iii. The reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** for the FY 2020-21 will be required to be filed by taxpayers with annual aggregate turnover aboveRs 5 Crore.

5. Retrospective amendment in section 50 of the CGST Act with effect from 01.07.2017, providing for payment of interest on net cash basis, to be notified at the earliest.

7. **Other Measures**

i. GST Council recommended amendments in certain provisions of the Act so as to make the present system of **GSTR-1/3B** return filing as the default return filing system in GST.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

अभी जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों को भी मिला एक मौका

नहीं लगेगा हजारो रूपये का जुर्माना, अधिकतम एक हजार रूपये में बनेगा काम

जिन कारोबारियों ने वर्ष 2017 के जुलाई में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से अभी तक एक बार भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें भी सरकार बेहद मामूली शुल्क भुगतान के साथ रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी तंत्र में शामिल होने का मौका दे रही है। वे सिर्फ 1000 रूपये जुर्माना देकर जीएसटी तंत्र में शामिल हो सकते है।

सामान्य नियम के मुताबिक़ देर से रिटर्न फ़ाइल करने वालो को 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है। ऐसे में 2017 जुलाई से लेकर अब तक का जुर्माना भरने में ऐसे कारोबारियों को 50000 से अधिक जुर्माना देना पड़ सकता था। हालांकि इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कारोबारी इस वर्ष 31 अगस्त तक शुल्क के साथ रिटर्न फ़ाइल कर देंगे। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में यह फैसला किया गया, ताकि अधिक से अधिक कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके।

जिन कारोबारियों के पास जीएसटी पंजीयन नंबर है, वे फिर से मामूली रकम देकर रिटर्न प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। सरकार को यह फायदा होगा जीएसटी के दायरे में अधिक कारोबारी के शामिल होने से जीएसटी का संग्रह बढ़ेगा।

26 जून तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब कारोबारी मई महीने का जीएसटी रिटर्न 26 जून तक दाखिल कर सकते है।

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28 मई को जीएसटी परिषद की हुई बैठक में महामारी को देखते हुए कारोबारियों को कई प्रकार की राहत दी गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क

बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा कि मई 2021 के लिए दाखिल किए जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर-1 की समय सीमा को 26 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। जीएसटी परिषद ने 2020-21 के लिए सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी तीन महीने ओर बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी है।

इसके अलावा, कंपनी कानून के तहत पंजीकृत करदाताओं को 31 अगस्त 2021 तक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का इस्तेमाल कर जीएसटी रिटर्न भरने की अनुमति दी गई है।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)
Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969
Email: info@sarumetals.com
Website: www.sarumetals.com

जीएसटी रिटर्न पर छोटे कारोबारियों को बड़ी छूट

आम माफ़ी योजना के तहत जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने जीएसटी परिषद की आम माफ़ी योजना के तहत छोटे कारोबारियो के लिए विलम्ब शुल्क में छूट को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत सालाना 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न भरने में बड़ी छूट दी गई है।

सीबीआइसी के मुताबिक, 2021 में मार्च, अप्रैल और मई महीने के मासिक रिटर्न पर विलंब शुल्क से निश्चित अवधि तक छूट दी जाएगी। इसके तहत मार्च के लिए 60 दिन, अप्रैल के लिए 45 दिन और मई के लिए 30 दिन की देरी से रिटर्न दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। बड़े कारोबारियों को यह अवधि रिटर्न की अंतिम तिथि से 15 दिन तक सिमित रहेगी और इस दौरान कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो कारोबारी जनवरी-मार्च तिमाही के लिए भुगतान योजना का विकल्प चुनते है, उन्हें भी विलम्ब शुल्क पर 60 दिन की मोहलत दी जाएगी।

जीएसटी परिषद ने 2017 में नया कर नियम लागू होने के बाद किसी भी महीने में रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों के लिए आम माफ़ी योजना शुरू की है, जिसमे मामूली विलम्ब शुल्क चुकाकर रिटर्न भरने की सुविधा दी जा रही है।

Extension of time limits of certain compliances to provide relief to taxpayers in view of the severe pandemic

In the wake of the second wave of coronavirus pandemic in the country, further to the slew of deadline extensions announced earlier, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extended the deadline for filing income tax returns and various other compliances for FY 2020-21.

Following are a few of the major extensions announced in the statutory deadlines:

1. For regular taxpayers, the due date of furnishing return of income for the Assessment Year 2021-22 has been extended to September 30 from July 31, 2021.
2. Audit Assessees will have time till November 30 to file the income tax return. Earlier the date was October 31.
3. Due date of furnishing Tax Audit Report extended to October 31 from September 30.
4. Due date of filing belated/revised return of income extended to January 31, 2022, from December 31, 2021.
5. Due date of Transfer Pricing Study Report extended to November 30 from October 31.
6. Statement of Financial Transactions (SFT) due date extended to June 30, 2021, from May 31, 2021
7. Statement of Reportable Account - extended to June 30 from May 31
8. Tax Deducted at Source (TDS) Statement for the fourth quarter of FY 2020-21 extended to June 30. Earlier the last date of filing TDS was May 31.
9. The last date of issuing Form 16 has been extended by a month to July 15. It was June 15 earlier.

Such due date relaxations will reduce the compliance burden for industry members who have been struggling due to the corona crisis.

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401
Phone No.: 01233-271137
Email: sales@sangalpapers.com
Website: www.sangalpapers.com

रिटर्न की तारीख बढ़ी लेकिन कर जमा करने में राहत नहीं

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने, फॉर्म-16 जारी करने और अन्य सहित कई आयकर संबंधी समय सीमा बढ़ा दी है।

हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने की समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है जिनकी कर देयता टीडीएस और अग्रिम कर की कटौती के बाद एक लाख रूपये से अधिक है। ऐसे व्यक्तियों को 31 जुलाई तक एक लाख रूपये से अधिक के स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा।

वरिष्ठ नागरिको को राहत :

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर वरिष्ठ नागरिक (जिनको आयकर कानूनों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने की आवयश्कता नहीं है) 31 जुलाई 2021 से पहले किसी भी कर का भुगतान करते है तो भुगतान किए गए कर को अग्रिम कर माना जाएगा। इसके अलावा अगर इसके कारण अंतिम कर देयता एक लाख रूपये से कम हो जाती है तो धारा 234ए के तहत दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, 60 साल के उम्र के लोगो को कोई राहत नहीं दी गई है।

इस तरह अपनी कर देयता की कर गणना करे :

पहला चरण: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी कुल आय की गणना करे। इसमें आपकी वेतन आय, पूंजीगत लाभ, किराए की आय, ब्याज आय, लाभांश को शामिल करे।

दूसरा चरण: कर योग्य आय का आकलन करने के लिए कुल आय से कर-छूट और कटौती घटाएं। कर-छूट और कटौती में धारा 80सी के तहत छूट भी शामिल है।

तीसरा चरण: अब अपनी शुद्ध कर योग्य आय पर कर देयता की गणना करे। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते है या ऑनलाइन खुद भी कर सकते है।

चौथा चरण: अपनी कुल कर देयता से, अपने वेतन, ब्याज आय आदि से टीडीएस के रूप में भुगतान किए गए करो की राशि में कटौती करे। फॉर्म 26एएस में यह होगा।

पांचवा चरण: कुल कर देयता से टीडीएस और अग्रिम कर राशि घटा देते है, तो स्व-मूल्यांकन कर राशि पर पहुंचेंगे जो आईटीआर दाखिल करने से पहले चुकानी होगी।

आयकर विभाग - करदाताओं के लिए नया पोर्टल पेश

आयकर विभाग ने एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश किया है। जिसका इस्तेमाल आइटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यो के लिए किया जा सकेगा, अधिकारियों ने बताया कि नया पोर्टल पहले से अधिक सुविधाजनक होगा।

विभागीय आदेश में, अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निबटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करे, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ ले। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित किया जा सकता है।

बदलेगा आइटीआर भरने की वेबसाइट का पता :

आयकर निदेशालय के अनुसार अब तक टैक्सपेयर आइटीआर भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://incometaxindiaefilling.gov.in का इस्तेमाल करते रहे है, लेकिन 7 जून 2021 से उन्हें नई वेबसाइट http://incometax.gov.in का प्रयोग करना होगा।

नए पोर्टल में यह होंगी खूबियां :

० छह बड़ी श्रेणियों में नए फीचर से लैस होगा।

० जल्द रिफंड जारी करने में मददगार होगा।

० करदाताओं के लिए कई तरह के सहायता उपाय होंगे।

∘ अधिक सुविधाजनक होगा नया पोर्टल।

∘ 10 जून के बाद तय की जा सकेगी किसी सुनवाई या शिकायत के निबटारे की तारीख।

एनजीओ का नवीनीकरण नहीं तो 30 फीसदी टैक्स

आयकर विभाग में स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) के लिए अलग से नियम आये है। पहले एनजीओ का पंजीयन आजीवन के लिए हो जाता था। अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। साथ ही हर पांच वर्ष बाद नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब 30 जून तक नवीनीकरण कराने में नाकाम पुराने एनजीओ को भी 30 % तक आयकर भुगतान करना होगा।

जो एनजीओ पिछले वित्तवर्ष में यानी इस वर्ष पहली अप्रैल से पहले पंजीकृत हुए है उन्हें 30 जून तक दोबारा पंजीयन कराना होगा। इस वर्ष पहली अप्रैल से पहले आयकर की पुरानी धारा 12ए के अंतर्गत पंजीयन को आवेदन देने और प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे एनजीओ को नई धारा 12एबी के तहत पंजीयन आवेदन की जरुरत नहीं होगी। पुराने आवेदन से ही तीन वर्षो के लिए नई धारा के तहत प्रमाणपत्र मिलेगा। फिर आवयशकता नहीं होगी। उसी आवेदन से उन्हें नई धारा के पंजीयन मिलेगा। यह तीन साल के लिए मान्य होगा। चालू वित्त वर्ष में औपबंधिक पंजीयन तीन वर्षो के लिए मान्य रहेगा। तीन वर्ष पूरा होने से छह माह पहले नियमित पंजीयन को आवेदन देना होगा।

इंफ्रा परियोजनाओं पर खर्च में लाए तेजी
एमएसएमई के बकाये का हो जल्द से जल्द भुगतान: वित्तमंत्री

कोरोना के घटते मामले को देखते हुए सरकार से अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है, ताकि आर्थिक पहिये की रफ़्तार तेज की जा सके। निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने सभी मंत्रालयों से इस काम में निजी क्षेत्र को सहयोग करने के लिए भी कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को ताकत देने में पूंजीगत खर्च में होने वाली बढ़ोतरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से उन्होंने अपने-अपने मंत्रालय से सम्बंधित बड़ी परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के लिए कहा ताकि उन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

उन्होंने सभी मंत्रालयों व सार्वजनिक कंपनियों से एमएसएमई के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए भी कहा। विभिन्न मंत्रालयों व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में वित्तमंत्री ने सार्वजनिक कंपनी के पूंजीगत खर्च की भी समीक्षा की। समीक्षा के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में घोषित पूंजीगत खर्च व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले निवेश को लेकर चर्चा की गई।

आयात शुल्क में छूट के लिए पहले देनी होगी जानकारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा कि आयात शुल्क में छूट लेने के लिए कारोबारियों को उत्पाद की जानकारी पहले ही कस्टम विभाग को देनी होगी।

सीबीआइसी ने घरेलु उत्पादन व सेवाओं के लिए आयात होने वाले उत्पादों पर शुल्क में छूट दी थी। लेकिन महामारी की वजह से एमएसएमई क्षेत्र की कई कंपनियां घरेलु उत्पादन नहीं कर पा रही। ऐसी कंपनियों को भी आयात शुल्क में छूट के लिए नियमो में फिर बदलाव किया है। बोर्ड ने कहा, सोने-आभूषण, कीमती पत्थर व रत्न को छोड़कर अन्य क्षेत्र के आयातकों को इसका लाभ मिलेगा। शुल्क में छूट के लिए आयातक को सम्बंधित कस्टम अधिकारी के पास उत्पाद, मात्रा और उसकी कीमत और सीरियल नंबर का ब्यौरा देना होगा।

टोल पर जाम लगा तो आगे वाली गाड़ियों को टैक्स नहीं

हाल के दिनों तक लोग टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम में त्रस्त रहते थे। अब एनएचएआइ ने ऐसा दिशानिर्देश जारी किया है कि लोग शायद मन ही मन चाहेंगे कि उन्हें जाम मिले और टोल प्लाजा पर जाम नहीं मिलेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने टोल प्लाजा के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है। एनएचएआइ ने कहा है कि अगर टोल प्लाजा पर किसी वजह से 100 मीटर से अधिक लम्बी लाइन लगती है तो सबसे आगे वाली गाड़िया टोल टैक्स का भुगतान किये बगैर निकल सकेंगी। ऐसा जल्द होने वाला है। टोल प्लाजा पर किसी वाहन के लिए सेवा समय अधिकतम 10 सेकेंड निर्धारित कर दिया गया है। इसका मकसद टोल प्लाजा परिचालकों को उनकी गलतियों-खामियों की वजह से जाम लगने के लिए जिम्मेदार ठहराना और उन्हें अधिक कार्यकुशल बनाना है।

इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर हर कतार में टोल बैरियर से लेकर 100 मीटर पर एक पीली खींची जाएगी। टोल प्लाजा से निकलने का इंतजार कर रहे वाहनों की कतार किसी भी वक्त उस पीली लाइन के बाहर नहीं जानी चाहिए।

अगर कतार उस लाइन में पीछे चली जाती है तो जब तक वह कतार उस पीली लाइन के अंदर नहीं चली आती, तब तक आगे वाले वाहन बिना टोल टैक्स का भुगतान किए निकल सकेंगे। एक तरफ से यह टोल प्लाजा ऑपरेटर को उसकी सेवा में सुस्ती या खामी के लिए मिला दंड होगा। एनएचएआइ ने कहा है कि फास्टैग की 100 फीसद अनिवार्यता के बाद तो किसी वाहन के टोल प्लाजा पर रुकने की कोई जरुरत ही नहीं रह गई है। अधिकतर टोल प्लाजा पर अब फास्टैग लगे वाहनों की संख्या 96 फीसदी से अधिक व कई पर तो 99 फीसद तक पहुंच गई है। ऐसे में टोल प्लाजा पर इंतजार के दिन ख़त्म हो गए है।

फिर भी अगर किसी वजह से रुकने की नौबत आ ही जाए तो टोल परिचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक वाहन को वहां से निकलने में 10 सेकेंड से अधिक का वक्त नहीं लगे। एनएचएआइ का इस दिशानिर्देश में कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह देशभर में बढ़ रहा है। ऐसे में इस बात पर जोर दिया जा

रहा है कि भविष्य में बनने वाले सभी टोल प्लाजा अगले 10 वर्षो तक ट्रैफिक में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जाए।

राहत पैकेज के रूप में मिल सकता है टैक्स छूट का तोहफा

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित क्षेत्रो को सरकार फिर राहत पैकेज देने की तैयारी में है। इस बार टैक्स छूट के रूप में यह सौगात मिल सकती है। वित्त मंत्रालय छोटी-मझोली कंपनियों के साथ पर्यटन, हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को राहत दे सकता है, इसके लिए महामारी के असर का आकलन किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से ही पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के अलावा विमानन पर भी महामारी की मार पड़ी है। एमएसएमई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अभी 6.5 करोड़ एमएसएमई अर्थव्यवस्था में 30% का योगदान देती है। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता का कहना है कि सरकार के पास नकद राहत देने के लिए पूंजी नहीं है। आरबीआई से 99122 करोड़ का लाभांश मिला, लेकिन राहत पैकेज के रूप में अभी टैक्स छूट ही दी जा सकती है। इसके अलावा कर्ज पर गारंटी और खपत बढ़ाना भी एक विकल्प बन सकता है।

राहत पैकेज की जरुरत का हो रहा आकलन

नीति आयोग इकोनॉमी के कमजोर सेक्टरों की कर रहा पहचान

केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से उद्योग, कारोबार और अन्य पक्षों को हुए नुकसान का आकलन किया है। इसका मकसद राहत पैकेज पर विचार करना और जरुरतमंदो सेक्टरों व उद्योगों को उचित समय पर पर्याप्त मदद मुहैया कराना है। सूत्रों के अनुसार नीति आयोग इकोनॉमी के प्रमुख क्षेत्रो पर काम कर रहा है। आयोग यह पता लगाने में जुटा है कि इकोनॉमी के किन क्षेत्रो को तत्काल मदद की जरुरत पड़ सकती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा योजना सुझाए जाने के बाद वित्त मंत्रालय इस पर फैसला करेगा।

जीएसटी संग्रह समेत चुनिंदा आर्थिक संकेतक अभी भी सरकार को यह भरोसा दिला रहे है कि स्थिति बहुत अधिक ख़राब नहीं हुई है। 31 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) चुनिंदा प्रमुख आकड़े जारी किए है जिससे इकॉनमी का सही पता चल सकेगा।

हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य सत्कार, पर्यटन और विमानन जैसे सेवा क्षेत्र के उद्योग पिछले वर्ष के कोरोना संकट की मार से उबर ही रहे थे कि इस वर्ष दूसरी लहर की चपेट में आ गए। इन्हे सरकार से तत्काल वित्तीय मदद जरुरत पड़ सकती है। फिर, कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगारदाता एमएसएमई क्षेत्र भी दूसरी लहर की चपेट में बुरी तरह फसा है, जिसे वित्तीय मदद की जरुरत होगी।

सूत्रों का कहना है कि इनके लिए सरकार मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत कुछ राहत दे सकती है। वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र की करीब 6.5 करोड़ कंपनिया देश की जीडीपी में 30 फीसदी तक योगदान दे रही है।

आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे कर्जदारों के लिए कर्ज पुनर्गठन की घोषणा की थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका फायदा तभी दिखेगा जब कई राज्यों में इस वक्त लगा लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। रेटिंग एजेंसियो ने पिछले कुछ समय के दौरान एक के बाद एक जिस तरह से चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर अनुमान घटाया है, उससे साफ़ लगता है कि कुछ सेक्टरों को तुरंत मदद की जरुरत है।

2000 रूपये के नोटों की अब नहीं होगी सप्लाई : आरबीआई

आरबीआई की तरफ से 2000 रूपये के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल, 26 मई को आरबीआई ने 2000 रूपये के नोट को लेकर साफ़ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रूपये के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किए गए इस नोट को लेकर पहले से ही इस बात के लिए कयास लगाए जा रहे थे। आरबीआई ने भी पहले 2000 रूपये के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नहीं आएंगे जो सर्कुलेशन में पहले से ही है, वही बाजार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में

कहा है कि पिछले साल की तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 2000 रूपये के नए नोटों की कोई सप्लाई नहीं हुई है। आरबीआई ने पिछली बार 2018-19 में 467 लाख 2000 रूपये और 500 रूपये के नोटों की हिस्सेदारी 87.5 फीसदी है। दरअसल, एटीएम के चेस्ट में 2000 रूपये के नोट हटाने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि 2000 रूपये के नोट बंद होने वाले है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया था कि वो अब 2000 रूपये के नोटों की छपाई नहीं कर रही। मार्च महीने में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल में 2000 रूपये के नोटों की छपाई नहीं हुई है।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

नॉमिनी नहीं बनाया तो गहरा हो सकता है परिवार का संकट

कोरोना महामारी ने लाखो लोगो को असामयिक मौत के मुँह में धकेल दिया है। कई मामले ऐसे भी आये हैं जिसमे व्यक्ति द्वारा नॉमिनी नहीं बनाने के कारण परिवार को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि हर किसी को अपने सभी निवेश में नॉमिनी बनाना चाहिए।

इन वित्तीय मामलो में नॉमिनी जरुरी :

जीवन बीमा, पीपीएफ, ईपीएफओ, बैंक-डाकघर के सभी खाते, डीमैट खाते, नेशनल पेंशन स्कीम, म्युचुअल फंड, प्रॉपटी और अब कार-बाइक के रजिस्ट्रेशन में नॉमिनी जरुरी है।

लंबी प्रक्रिया से बचाता है नॉमिनी :

सेबी के साथ पंजीकृत टैक्स एन्ड निवेश विशेषज्ञ जीतेन्द्र सोलंकी ने बताया की नॉमिनी का मतलब उस व्यक्ति से है जिसे आपने अपने न रहने की स्थिति में निवेश की रकम संभालने के लिए नामित किया है। नॉमिनी का चयन व्यक्ति की आसमायिक मौत के बाद की प्रक्रिया को आसान बना देता है। नॉमिनी न होने की स्थिति में पैसा मिलना मुश्किल होता है। कानूनी दावपेच में लम्बा समय निकल जाता है।

इन नियमो की जानकारी जरुरी :

० नॉमिनी नाबालिग तो गार्जियन नियुक्त करना जरुरी

० एक से ज्यादा नॉमिनी नियुक्त कर सकते है

० नॉमिनी को कई बार बदल सकते है

० नॉमिनी हमेशा संपत्ति का हकदार नहीं होता है

० नॉमिनी बनाने पर भी वसीयत बनाना जरुरी

० नॉमिनी है पर वसीयत नहीं तो संपत्ति का बटवारा कानून के हिसाब से होगा

सरकारी बैंको ने मिलाया हाथ, निर्धारित शुल्क लेकर घर पर दी जाएंगी सेवाएं

घर पर बैठे ले 12 बैंको की सेवाएं

कोरोना संकट में डिजिटल बैंकिंग में काफी तेज वृद्धि है लेकिन सभी ग्राहक इसमें खुद को सहज नहीं मानते है। इसको देखते हुए सरकारी बैंको ने एक समूह बनाकर (पीएसबी एलाएंस) घर बैठे बैंकिंग सुविधा देने की शुरुआत की है। इसके तहत 12 सरकारी बैंको की सुविधा मिलेगी। इसमें नकद जमा और निकासी के अलावा जीवन प्रमाणपत्र और चेक बुक जैसी गैर वित्तीय सेवाएं भी घर बैठे ले सकेंगे।

बैंक का यह समूह इसमें एक ही बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के जरिए सेवा मुहैया कराएंगी। जबकि इससे पहले वह अलग-अलग बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की मदद लेते थे। विशेषज्ञो का कहना है कि यह कदम बैंको के साथ ग्राहकों के लिए भी फायदा का सौदा है। एक तरह इससे बैंको की लागत में कमी आएगी। वही दूसरी तरफ वह ज्यादा तेज और सुविधानुसार अपने ग्राहक को सेवा दे सकेंगे। उनका यह भी कहना है कि कई निजी बैंक पहले से इस तरह की सुविधा दे रहे है लेकिन वह खास ग्राहकों तक ही सीमित है।

इस एप के जरिए मिलेगी सुविधा :

सरकारी बैंको का समूह डीएसपी एप और उसके टोल फ्री नम्बर के जरिए इसकी सुविधा देगा। इसके लिए जरुरी है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा हो। एप रहने पर डेबिट कार्ड की जरुरत नहीं होगी। जबकि बिना एप के डेबिट कार्ड और पिन के जरिए राशि निकाल या जमा करने की सुविधा होगी। इसके लिए इनका एजेंट माइक्रो एटीएम के जरिए सुविधा देगा।

इन बातो का रखे ध्यान :

दिन के तीन बजे तक आर्डर करने पर उसी दिन सुविधा मुहैया करा दी जायेगी। जबकि तीन बजे के बाद आर्डर करने पर अगले कारोबारी दिन सुविधा मिलेगी। इस बात का ध्यान रखे कि यह सुविधाएं शुल्क के साथ है। साथ ही शुल्क के अलावा लागू जीएसटी भी आपको चुकाना होगा।

गैर-वित्तीय सेवाएं भी ले सकेंगे :

सरकारी बैंको का यह समूह जीवन प्रमाण पत्र, 15 जी और 15 एच प्रमाणपत्र, बैंक खातों का विवरण, चेक बुक जमा करने या नया चेक बुक मांगने सहित 10 तरह की गैर-वित्तीय सुविधाएं भी मुहैया कराएगा। इसकी जिम्मेदारी डीएसबी को दी गई है। 15 जी और 15 एच बैंक का घोषणा पत्र होता है जिसमे खाताधारक यह दावा करता है कि उसकी आय कर योग्य नहीं है। 15 जी सामान्य लोगो के लिए होता है जबकि 15 एच वरिष्ठ नागरिको के लिए होता है।

इस तरह मिलेगी जानकारी :

नकद निकासी या जमा के बारे में दो बार जानकारी मिलेगी। एक जानकारी तुरंत एसएमएस से मिलेगी जबकि डीएसबी एजेंट जैसे ही बैंक के ब्रांच में राशि या सम्बंधित प्रमाणपत्र जमा करेगा उसके बाद फिर फाइनल जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी। मौजूदा समय में 12 सरकारी बैंक है जो सेवाएं देंगे। इनमे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, पीएनबी, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र आदि शामिल है।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut
Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033
Admission Helpline: 9997030564, 9258051445
Email: info@caehs.edu.in
Website: www.caehs.edu.in

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

कारोबारियों को कर्ज में कोताही नहीं करे निजी बैंक: आरबीआई

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने निजी क्षेत्र के बैंको से कहा है कि वे विभिन्न क्षेत्रो को दी जा रही वित्तीय सेवाओं निरंतरता बनाए रखे। उन्होंने बैंको से कहा है कि वे कारोबारियों और उद्योगों को कोरोना संकट से निपटने के लिए कर्ज के वितरण में कोताही नहीं करे।

अग्रणी निजी बैंको के प्रमुखो के साथ हुई बैठक में शक्तिकांत दास ने उन सभी घोषणाओं को प्रमुखता से और तेजी से लागू करने के लिए कहा, जो उन्होंने मई के महीने में 5 तारीख को की थी। इसमें हेल्थकेयर सेक्टर को 50000 करोड़ रूपये का सावधि कर्ज मुहैया कराने समेत कई अन्य घोषणाएं शामिल थी। अन्य उपायों में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कर्ज सुविधाएं बढ़ाना, कर्ज का पुनर्गठन, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी अनुपालन में सहूलियत तथा अन्य शामिल थे।

बैठक में कोविड-19 रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के अनुपालन, मौद्रिक निति में किए गए उपायों के अनुपालन तथा तरलता की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

RBI decides to extend special liquidity facility of Rs 16,000 cr to support MSMEs funding requirements

The Reserve Bank of India (RBI) has decided to extend a special liquidity facility of Rs 16,000 crore to support funding requirements of MSMEs.

''To further support the funding requirements of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), particularly smaller MSMEs and other businesses including those in credit deficient and aspirational districts, the RBI has decided to extend a special liquidity facility of Rs 16,000 crore to SIDBI for on-lending/ refinancing through novel models and structures,'' RBI Governor Shaktikanta Das during the Monetary Policy Committee announcements on Friday.

“This facility will be available at the prevailing policy repo rate for a period of up to one year, which may be further extended depending on its usage,” the RBI added.

To nurture the still nascent growth impulses and ensure continued flow of credit to the,

the Reserve Bank had extended fresh support of Rs 50,000 crore on April 7, 2021 to All India Financial Institutions real economy (AIFIs) for new lending in 2021-22. This included Rs 15,000 crore to the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).
On May 5, the central bank had announced Resolution Framework 2.0 providing for resolution of COVID-19 related stress of MSMEs as well as non-MSME small businesses and loans to individuals for business purposes.
"To enabling a larger set of borrowers to avail of benefits under Resolution Framework 2.0, the RBI has now expanded coverage of borrowers by enhancing maximum aggregate exposure threshold from Rs 25 crore to Rs 50 crore for MSMEs, non-MSME small businesses and loans to individuals for business purposes," the governor added.

बिना गारंटी लोन का दायरा बढ़ा
अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए ले सकेंगे 2 करोड़ तक का लोन

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी 2 करोड़ तक का लोन मात्र 7.5 फीसद ब्याज पर ले सकेंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत ईसीएलजीएस के तहत अब तक मिले लोन चुकाने के लिए उद्यमियों को दिया गया समय भी चार से पांच साल कर दिया गया है। पहले 24 माह तक उद्यमी सिर्फ ब्याज का भुगतान कर सकेंगे और उसके बाद के 36 माह में उन्हें मूलधन देना होगा।

ईसीएलजीएस के तहत दिए जाने वाले लोन के बदले उद्यमियों को बैंको को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। पूरी तरह से सरकार की गारंटी वाली इस लोन स्कीम की घोषणा पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसके तहत एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रूपये का लोन दिया जाना था। इस स्कीम की अवधि इस साल 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितम्बर

कर दिया गया है। मंजूर लोन इस साल 31 दिसम्बर तक दे दिया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत अब तक 2.55 लाख करोड़ रूपये के लोन आवंटित हो चुके है। अब 45000 करोड़ रूपये इस स्कीम के तहत लोन के रूप में देने के लिए बचे है। सरकार अब तक दो बार ईसीएलजीएस के दायरे बढ़ा चुकी है।

सरकार की तरफ से ईसीएलजीएस 4.0 की गई। जिसके तहत इस स्कीम के दायरे में अस्पताल, नर्सिंग होम, ऑक्सीजन प्लांट आदि को शामिल किया गया। इससे पहले ईसीएलजीएस 3.0 की घोषणा की गई थी, जिसके तहत इस स्कीम में हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन जैसे सेक्टर को शामिल किया गया था। यह भी बताया गया कि ईसीएलजीएस में नागरिक उड्डयन सेक्टर भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक़, इस साल 5 मई को आरबीआई की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक़ के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग के पात्र उद्यमी यह दो करोड़ का लोन ले सकेंगे। उद्यमियों को लोन की मंजूरी 30 सितम्बर से पहले लेनी होगी।

कोरोना इलाज को पांच लाख तक कर्ज देंगे सरकारी बैंक :

कोरोना के इलाज में मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25 हजार से 5 लाख रूपये तक का लोन देंगे। एसबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए) की संयुक्त बैठक में यह एलान किया गया। सभी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी पेंशनधारी इसके पात्र होंगे। सरकार के फैसले के अनुरूप ईसीएलजीएस के बढ़े दायरे के तहत लोन देने की भी घोषणा की गई।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

बैंक खुले या ना खुले, सैलरी अब निर्धारित दिन ही मिल जाएगी

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) की सुविधा अब सफ्ताह के सातो दिन उपलब्ध होगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की है कि यह व्यवस्था पहली अगस्त से लागू होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी की सैलरी अब सिर्फ इस वजह से नहीं रुकेगी क्योकि निर्धारित तिथि को बैंक बंद है। इसके साथ ही होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन समेत किसी भी तरह की समान मासिक क़िस्त (ईएमआइ) या अन्य किसी भी तरह की सावधिक देय राशि का जो दिन निर्धारित है, अब वह राशि अकाउंट से उसी दिन कट जाएगी।

वर्तमान व्यवस्था के तहत एनएसीएच का परिचालन बैंको के कार्यदिवस में ही होता है। हालांकि लोन ग्राहकों को इसका एक फायदा यह होता है कि अगर निर्धारित तिथि को उनके खाते में ईएमआइ जितनी रकम नहीं होती है तो बैंक छुट्टी होने और ईएमआइ अगले दिन काटने की सूरत में उन्हें खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पर्याप्त रकम डालने के लिए कुछ घंटो की मोहलत मिल जाती है। इसकी वजह यह है कि किसी भी बैंक खाते से दूसरे खाते में रकम जमा करने की सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

एनएसीएच सुविधा सातो दिन नहीं मिलने का बहुत से कई बार पेशेवरों को उनके खाते में वेतन, कई तरह के लाभांश और ब्याज निर्धारित तिथि को नहीं आते है। मसलन, अगर वेतन या लाभांश की निर्धारित तिथि को अवकाश पड़ जाता है तो खाते में वह रकम अगले दिन आती है। नई व्यवस्था के तहत बैंक खाते में मासिक वेतन भी चाहे रविवार हो या छुट्टी का कोई ओर दिन, उसी निर्धारित तिथि को आ जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक सुविधा बढ़ाने तथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का पूरा लाभ उठाने के लिए एनएसीएच की सुविधा सफ्ताह के सातो दिन और चौबीसो घंटे जारी रखने का फैसला लिया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र को 3640 करोड़ मदद देगा विश्व बैंक

महामारी में एमएसएमई उद्यमों को नुक्सान से उबारने के लिए विश्व बैंक 3640 करोड़ की मदद देगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दी है।

इससे 5.5 लाख एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार आएगा। साथ ही सरकार के 3.4 अरब डॉलर के 'एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता' रेजिलिएंस एंड रिकवरी प्रोग्राम के तहत 15.5 अरब डॉलर वित्तपोषण की भी उम्मीद है। भारत में विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद कहा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 5.8 करोड़ एमएसएमई में से 40% के पास पूंजी नहीं है। विश्व बैंक ने जुलाई 2020 में भी 75 करोड़ डॉलर की मदद दी थी।

जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी बढाकर 40% करेंगे: गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा 30% से बढाकर 40% करेंगे। दुनिया के लिए भारत अभी चीन के मुकाबले निवेश का ज्यादा पसंदीदा क्षेत्र बन गया है। उन्होंने कहा, हमें कृषि क्षेत्र और विकास दर बढ़ाने जरुरत है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जा सके। इसके लिए खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना बेहद जरुरी है। अभी दुनिया महामारी से निपट रही है और आपूर्ति बाधित होने से महंगाई अनियंत्रित हो गई है।

पीएफ खाते से कोरोना एडवांस ले सकेंगे

ईपीएफओ ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अंशधारकों को फिर गैर-वापसी एडवांस पीएफ यानी अग्रिम भविष्य निधि निकासी की मंजूरी दे रही है।

सरकार कहा है कि पहली लहर के दौरान एडवांस का लाभ लेने वाले सदस्य, दूसरे एडवांस का विकल्प भी चुन सकते है। इसके अनुसार तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75% तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते है। सरकार का दावा है कि महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता की जा रही है।

ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया है और कुल 18698.15 करोड़ रूपये वितरित किए है। संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए इन दावों को उच्च प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक़, ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के तीन दिन के अंदर इन्हे निपटा रहा है।

पीपीएफ खाते से संकट में ले सकते है एक फीसदी ब्याज पर लोन

संक्रमण की दूसरी लहर के कारण आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां ठप होने से लोगो के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। पैसे की जरूरते पूरी होने के लिए लोग पर्सनल लोन, गोल्ड लोन के साथ फिक्स्ड डिपोसिट पर और क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहे है। ब्याज दर के हिसाब से यह विकल्प ज्यादा महंगे पड़ते हैं। ऐसे में पीपीएफ खाते से लोन लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए न तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है और न ही क्रेडिट स्कोर की जरुरत पड़ती है। आपके पीपीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर महज एक फीसदी

ब्याज पर तीन साल यानी 36 महीने के लिए लोन ले सकते है। इस पर ब्याज की गणना के समय आपके खाते से लोन की रकम कट जाती है। तय अवधि में लोन नहीं चुकाने पर 6 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।

ये है नियम शर्तें :

- लोन के लिए जरुरी है कि आपका पीपीएफ खाता तीन साल पुराना होना चाहिए।
- यह लोन पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे और छठे वित्त वर्ष के बीच ले सकते है।
- आपके खाते में जमा कुल राशि की केवल 25 फीसदी ही लोन के तौर पर मिलेगा।
- तीसरे साल में लोन लिया है तो इसकी गणना दो साल बाद जमा रकम के आधार पर होगी।
- अप्रैल से लेकर किसी भी महीने में लोन के लिए आवेदन करने पर गणना 31 मार्च तक जमा राशि के आधार पर ही होगी।
- साल में एक बार लोन मिलेगा। पूरी राशि जमा करने के बाद ही दूसरा ले सकेंगे।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

ईएसआइसी के तहत नई व्यवस्था पर श्रम मंत्रालय ने बढ़ाए कदम

श्रम मंत्रालय ने कोरोना महामारी के दौर में ईपीएफओ और ईएसआइसी के तहत अतिरिक्त लाभ का एलान कर दिया है। इनमे कोरोना के कारण जान गवाने वाले कर्मियों के आश्रितों को ईएसआइसी के तहत पेंशन देना और ईडीएलआइ ग्रुप इंश्योरेंस के तहत अधिकतम सम एश्योर्ड को बढ़ाकर छह से सात लाख रूपये करना शामिल है।

मंत्रालय ने बताया कि नियोक्ता पर कोई अतिरिक्त दबाव डाले बिना कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। कोरोना के कारण मौत की स्थिति में आश्रितों के पेंशन के लिए जरुरी होगा कि बीमारी की जांच से तीन महीने पहले ईएसआइसी के पोर्टल पर संबंधित कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अतिरिक्त लाभ 24 मार्च 2020 से दो साल के लिए प्रभावी रहेंगे।

होम आइसोलेशन का पूरा खर्च उठाएगा ईएसआइसी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के कार्डधारकों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना काल में होम आइसोलेशन में इलाज करवाने वाले कार्डधारकों का पूरा खर्च निगम उठाएगा। इतना ही नहीं अवकाश के दिनों के वेतन के साथ सुविधा स्वरुप दस हजार रूपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ईएसआइसी मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है। कार्डधारक कर्मचारी को जागरूक करने के लिए जल्द ही इसका प्रसार किया जाएगा।

प्रत्येक महा कर्मचारी और कंपनी ईएसआइसी को अनुदान देते है। हजारो कंपनीकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए। किसी ने अस्पताल में रहकर इलाज कराया तो कोई होम आइसोलेशन में रहा। निगम ने न सिर्फ होम आइसोलेशन में हुए खर्च का भुगतान बल्कि इलाज के दौरान कंपनी में अनुपस्थित रहने का वेतन और 10 हजार रूपये अतिरिक्त देने का भी निर्णय लिया है। हालांकि जानकारी के अभाव में कोई भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। गाजियाबाद में चार लाख ईएसआइ कार्डधारक है। इन पर आश्रितों की संख्या करीब बीस लाख है। ईएसआइसी के सहायक निदेशक राज रंजन राय के मुताबिक़ होम आइसोलेशन के नाम पर एक भी व्यक्ति ने क्लेम नहीं किया है।

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

No: BKG-27/7/2020-G/Pt.file Date: 01-06-2021

To

All Addi. CPFCs(HQ)/ACC (Zones)

Subject: Mandatory seeding of Aadhaar Number for filing of ECR- Reg.

Madam/Sir,

Section 142 of the Code on Social Security, 2020, has been brought into force, with effect from03.05.2021, vide gazette notification No.1730(£) dated 30.04.2021.

2. The section 142 of Chapter XIV of the Socia l Sec urit y Code, include s the provis ion s related to Aadhaar, wherein the beneficiary under this Code or rules, regulat io ns or Schemes made or framed there under, shall establish his identity or, as the case may be, the identity of his family members or dependents through Aadhaar number.

3. In compliance of the above provision in EPFO, the Competent Authority has approved that the ECR shall be allowed to be filed only for those members, whose Aadhaar numbers are seeded and verified with the UANs, w.e.f. 01.06.2021.

4. Accordingly, the employers shall be allowed to file the ECR only for the UANs seeded with Aadhaar, w.e.f. 01.06.2021.To ensure that the members and the employers are not adversely affected in the transition phase, the following steps and measures may be undertaken by the field offices under your jurisdiction. A zone wise pendency position is attached as an annexure, as a ready reference.

a. All the employers need to be made aware of the mandatory filing of ECR with Aadhar validated UANs. Therefore, wide

publicity may be ensured in this regard.

b. The ROs may conduct virtual conferences and also make use of the Social Media handles to reach out to maximum number of employers and subscribers.
c. A Nodal officer may be appointed, for coordination of these efforts and to facilitate the resolution of any issues being faced by the employers and members in this regard.
d. Daily progress may be obtained from the field offices, to ensure close monitoring.

Accordingly, the Zonal Offices are requested to ensure strict compliance of the above instructions.

Wider Coverage: Commerce Ministry weighing proposal to revamp scheme for services exports

The commerce ministry is weighing a proposal to overhaul a key scheme for services exporters to make it more broad-based and foolproof so that a wider pool of businesses, especially Covid-hit MSMEs, get the succour.

The revamped Service Exports From India Scheme (SEIS) may be part of the new five-year Foreign Trade Policy (FTP), which will be effective from October 2021, sources told FE.

However, given the resource crunch faced by the government in the wake of the pandemic and the growing requirement of healthcare spending, much depends on the finance ministry's approval to any such scheme, one of the sources said.

Under the extant scheme, the government offers exporters duty credit scrips at 5-7% of the net foreign exchange earned, depending on the nature of services.

The commerce ministry has also held discussions with exporters on the feasibility of bringing in a tax refund scheme for services exporters in future, along the lines of the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) announced for merchandise exporters, another source said. However, given that services are fundamentally different from

manufacturing, coming out with such a scheme for services and assessing refund rates will be a humongous exercise and may be prone to errors, some analysts say.

The resource-starved government may also reduce benefits for consultancy and certain other professional services that it thinks corner a sizeable chunk of incentives. Moreover, a section of the government believes that since few players are grabbing most of the SEIS incentives, the scheme should be altered in such a fashion that it helps a large number of small businesses as well.

Factoring in the government's resource woes, the state-backed Services Export Promotion Council (SEPC) has proposed that the Centre limit the SEIS benefits to a maximum of `5 crore per exporter for various services sectors. However, sectors, including travel and tourism, healthcare, education and aviation, which have been worst hit by the pandemic should be exempted from this ceiling and allowed the full entitlement, according to the SEPC. This will take care of the interest of thousands of MSMEs in the sector, the SEPC feels.

Already, services exporters, struggling to cope with the pandemic, have urged the government to release SEIS benefits for FY20 at the earliest, which could be to the tune of Rs 3,000-4,000 crore. They also argue that their concerns shouldn't be relegated to background. While merchandise exporters, they argue, have been allocated as much as Rs 39,079 crore for FY20 under the Merchandise Export from India Scheme (MEIS), the entitlement of services exporters under the SEIS for the same year would be about a tenth of that. So, the government shouldn't have problem in clearing the SEIS dues. Of course, most of the MEIS benefits are also yet to be released, mainly due to the revenue shortage faced by the government in the wake of the pandemic.

However, given that the pandemic has battered sectors like travel & tourism, aviation and education like no other, services exporters say without fast release of SEIS dues, many of these entities will cease to exist soon.

The SEPC has said that the SEIS is the only incentive scheme available to services exporters, and the eligible ones have already been factoring in the incentives in their pricing and business sustainability strategies.

The SEIS was introduced in the Foreign Trade Policy (FTP) for 2015-20; the validity of the FTP has now been extended up to September 2021. However, unlike the MEIS, there is no notification so far on the SEIS for 2019-20, even though it is a part of the current FTP.

Services exports dropped almost 6% year-on-year in FY21 to $203 billion due to the pandemic, while merchandise exports contracted by just over 7% to about $291 billion, according to a quick estimate by the commerce ministry. Services trade surplus has been substantially offsetting the merchandise trade deficit. Despite the pandemic, thanks to an $86-billion surplus in services trade in FY21, the overall trade deficit dropped to just $13 billion.

Govt releases Rs 5,968 crore to 15 states under Jal Jeevan Mission

The Government has released Rs 5,968 crore to 15 states for the implementation of the Jal Jeevan Mission in the financial year 2021-22.

This is the first tranche of the four to be released in this financial year. The other 17 States/UTs have been asked to send their proposals to the National Jal Jeevan Mission for release of funds.

Of the central funds allocated under the Jal Jeevan Mission, 93 percent is to be utilized on developing water supply infrastructure, 5 per cent on support activities and 2 percent on water quality monitoring and surveillance.

The Central funds are released by the Government based on the output in terms of tap water connections provided in the States/ UTs and the utilization of available Central funds and matching State share.

The States have to transfer Central funds released along with the matching State share to the single Nodal Account within 15 days of the release of Central funds. The States have to make provision for a matching State share and ensure that there is no shortage of funds to

the implementing agencies and a proper expenditure plan is prepared so that expenditure is evenly spread throughout the year.

As part of the top priority being accorded by the Government, the budgetary allocation of the Jal Jeevan Mission has increased significantly to Rs 50,011 crore in 2021-22.

In addition to this, the 15th Finance Commission tied-grants of Rs 26,940 crore will also be available to the PRIs for 'water and sanitation' services. In 2021-22, more than Rs 1 lakh crore is planned to be invested on ensuring tap water supply to rural homes. It is expected that this kind of investment is likely to continue over the next three years to achieve the goal of 'Har Ghar Jal'.

"The emergence of vaccines within a year of the Covid outbreak shows the power of human determination and tenacity," he said.

Besides the Covid-19 pandemic, climate change is a major challenge that humanity faces, Modi said, adding India is among the few large economies which are on track to meet their Paris Agreement targets.

Total cost of India's vaccination drive could go up to Rs 3.7 lakh crore: SBI Research

New Delhi: The total cost of India's vaccination drive could go up to Rs 3.7 lakh crore, with the cost of vaccine procurement exceeding potential revenue loss from lockdowns for populous states like Uttar Pradesh and Bihar, State Bank of India Research said in a report. "Poorer states with high populations would not be able to vaccinate themselves quickly. Meanwhile richer states may have to pay a much steeper price given the global oligopolistic market," said SBI group chief economist Soumya Kanti Ghosh in report. Assuming the Centre provides 50% of the required vaccinations for the states, Sikkim would have to pay Rs 20 crore at a cost of $5 per vaccine.

At the upper end of the range of vaccine costs at $40 per shot, UP would have to pay Rs 67,100 crore while the figure worked out to 16% of Bihar's total expenditure for FY22, SBI Research said.

While the final figure was likely to fall somewhere in between, the report emphasized that vaccine procurement was an absolute must considering the estimated revenue loss of Rs 5.5 lakh crore if lockdowns ended by June.

Additionally, states would face an inelastic supply curve for two months as a majority of the 22.2 billion global vaccine production capacity for 2021 was either already secured or committed to foreign governments, the report further mentioned.

Worth mentioning here is that so far India has secured only 28 million doses of Covid vaccine and another 2.14 billion doses committed in the pipeline for August-December.

States like Uttar Pradesh and Odisha have had to extend global tenders and relax criteria after receiving no response even as more states including West Bengal and Bihar are considering floating similar tenders.

The report suggested that Centre and states should jointly procure Covid-19 vaccinations to ensure a sizable portion of the population gets vaccinated quickly and to bring uniformity in the vaccination cost for states.

The Centre should follow the European Union template where a joint negotiation team of member nations negotiate with vaccine suppliers, the report said.

India has so far vaccinated 187 million people but the total vaccination per 100 population is still at 13.8, SBI Research said.

XXXXXXXXXXXXX